न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या 10 / 2022
जीसीएमएस नं0 –2022 / 444

खेमराज शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा कार्यालय उप निदेषक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

मैसर्स मथुरालाल शिवनारायण गेंता रोड इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

–अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित उवर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 4,5,7,8,19,21 एवं 35

उपस्थितः–

1. विभागीय पेरोकार सरकार
2. स्वयं अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 19.2.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि उपर्वरक निरीक्षक एवं उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा द्वारा फर्म मैसर्स मथुरालाल शिवनारायण, गेंता रोड इटावा तहसील पीपल्दा के विरूद्व उर्वरक अनियमितता की शिकायत होने पर उक्त उर्वरक विकेता के प्रतिष्ठान एवं गोदानों का निरीक्षण कर उर्वरक कारोबार हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जांच में फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 4,5,7,8 तथा 35 का उल्लंघन पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 28(1)(डी) के तहत उपलब्ध /भण्डारित निम्न उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाई गई

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	उपलब्ध मात्रा	बैच नम्बर	निर्माता का नाम
1-	SSP (G) ZIncated	80Bags x50 kg	PSLF/ZG/10	प्रेम सखी फर्टिलाईजर लिमिटेड उदयपुर
2	SSP (P) ZIncated	60Bags x50 kg	PSLF/ZG/01	प्रेम सखी फर्टिलाईजर लिमिटेड उदयपुर
3	SSP (P) ZIncated	2Bags x50 kg	KS21-22 /ZP/99	कृष्णा फोस्केम लिमिटेड झाबुआ मध्य प्रदेश
4	SSP (G) ZIncated	24Bags x50 kg	OPL2021//Z G	ओस्टवाल फोस्केम इण्डिया लिमिटेड

जिला कलेक्टर
कोटा

				भीलवाड़ा
5	DAP	24Bags x50 kg	March 202	हिंडालको इण्डस्ट्रील लिमिटेड भरूच गुजरात
	Total	231Bagsx50 kg		

उक्त फर्म के निरीक्षण के समय पाई गई कमियों की पुष्टि कार्यालय के दस्तावेजों से की गई जिसमें फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 4,5,7,8 तथा 35 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर कार्यालय के पत्र कमांक 4628–35 दिनांक 16.9.2022 तथा कोरिजेन्डम पत्र कमांक 4689–96 दिनांक 20.9.2022 द्वारा फर्म का उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या एफ 89/04/ 14 दिवस के लिए एफ सी ओ 1985 के अअनुच्छेद 31 (1) के उपयोग से निलंबित कर उक्त उर्वरक विक्रेता को पांच दिवस तथा पुनः पांच दिवस का अतिरिक्त समय देकर अपना स्पष्टीकरण मय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया जिला विस्तार अधिकारी सी ए डी सुल्तानपुर ने अपने पत्र कमांक 649 दिनांक 28.9.2022 से अवगत कराया कि मैसर्स मथुरालाल शिवनारायण गेंता रोड इटावा तहसील पीपल्दा द्वारा उनके कार्यालय में 0 फार्म फीस सहित प्रदान नहीं किये गये है । फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से विभागीय अधिकारियों /कार्मिकों की उपस्थिति में दिनांक 28.9.2022 को दोपहर बाद 3 बजे पुनः उक्त उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर उपस्थित होकर मौके पर प्रोपराइटर की हैसियत से उपस्थित श्री मथुरालाल जगरोटिया की उपस्थिति में पुनः गोदामों /प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के साथ–साथ उर्वरम कारोबार हेतु आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई–

क्र. सं.	पयी गयी अनियमितता	FCO 1985/FC Act 1955 के अनुच्छेद /धारा का उल्लंघन
1	उर्वरक की स्टॉक एवं मूल्य सूचि प्रदिर्शित नहीं करना	FCO 1985/ का अनुच्छेद 4
2	उर्वरक विक्रय बिल जारी नहीं करना	FCO 1985/ का अनुच्छेद 5
3	उपलब्ध उर्वरकों के निर्माताओं के सेत प्रमाण पत्र ('0' फार्म) को उर्वरक प्राधिकार पत्र में नहीं जुडवाना	FCO 1985/ का अनुच्छेद 7 व 8
4	भण्डारित उर्वरक के कट्टों पर सही लेबल व मार्किंग नहीं होना	FCO 1985/ का अनुच्छेद 19 एवं 21
5	उर्वरक कारोबार संबंधित रिकार्ड का संधारण नहीं करना एवं मासिक रिटर्न प्रेषित नहीं करना	FCO 1985/ का अनुच्छेद 35
6	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन	FCO 1985/ का अनुच्छेद 3

उर्वरक की बिक्री पर रोक के बावजूद दिनांक 28.9.2022 को पुनः निरीक्षण के दौरान कुल 231 बैग्स के स्थान पर 193 बैग्स ही पाये गये इस प्रकार 38 बैग्स खुर्द–बुर्द कर फर्म ने भरतीरतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक न्यास भंग का कार्य किया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

FCO 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उक्त अनुच्छेदों / धारा के उल्लंघन पर फर्म के पास भण्डारित सभी पांच उर्वरकों के नमूने नियमानुसार आहरित कर गुणवत्ता की जांच हेतु विश्लेषण के लिये अधिसूचित प्रयोगशाला भिजवाये गये तथा FCO 1985 के अनुच्छेद 28 (1) (डी) के तहत जब्त कर संलग्न उर्वरक जब्तीनामा में उल्लेखित उर्वरकों को मुख्य व्यवस्थापक इटावा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. इटावा को उर्वरक के कुल 193 बैग सुपुर्द किये गये । उक्त जब्त किये गये सभी उर्वरकों के नमूने अधिसूचित प्रयोगशाला द्वारा अमानक घोषित किये गये है । इस प्रकार अप्रार्थी मैसर्स मथुरालाल शिवनारायण गेंता रोड इटावा तह0 पीपल्दा ने अमानक उर्वरक का कारोबार कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 19(ए) के साथ साथ अनुच्छेद 4,5,7,8,19,21 तथा 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(।)(ए)(।।) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा जब्तशुदा उर्वरक राजसात योग्य है ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 11.12.2023 को पेश किया जो पत्रावली संलग्न है । विभागीय पेरोकार एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. विभागीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए अप्रार्थी से अमानक पाये गये उर्वरक के कुल 193 बैग राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।
4. अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि जिला विस्तार अधिकारी सीएडी सुल्तानपुर द्वारा फर्टीलाईजर मुमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर 1973 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 3 के उल्लंघन का हवाला देकर पुलिस थाना खातौली में आवश्यक अधिनियम 1955 के अन्तर्गत हमारे विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की है । हमारी फर्म को चम्बल फर्टीलाईजर एण्ड केमिकल लिमिटेड के द्वारा उत्तम वीर यूरिया की सप्लाई जुलाई 2020 से बंद है । तथा कम्पनी द्वारा फर्म को मार्च 2022 में डीलरशीप निरस्त कर दी गई थी जिसका पत्र साथ में संलग्न है । जिला विस्तार अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा जो गाडी दिनांक 20.8.2022 को अनाधिकृत खातौली कार्यक्षैत्र में पकडी गई थी उसके ड्राईवर के द्वारा जब्ती हमारे यहां से गोदाम से भरने का दबाव देकर बयान लिया गया जबकि हमारे द्वारा कोई माल कम्पनी से ना ही खरीदा गया और ना ही बेचा गया है । ड्राईवर द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर प्रार्थना दर्ज करवाई गई जो गलत है । हमारे द्वारा फर्टीलाईजर मुमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर 1973 का उल्लंघन नहीं किया गया है । दिनांक 23 से 25 अगस्त 2022 को भयंकर प्राकृतिक आपदा / बाढ से हमारी दुकान एवं गोदाम में 6 से 7 फुट पानी होने से समस्त आदान अस्त व्यस्थ व खराब हो गये थे तथा हमारे द्वारा दुकान के आदानों को सुनियोजित करने का प्रयास किया जा रहा था इसी समय दिनांक 14.9.2022 को उपनिदेशक विस्तार जिला परिषद कोटा द्वारा टीम के साथ दुकान पर पहुंच गये तथा आदान की दुदर्शा को ध्यान नहीं रखते हुए जबरदस्ती दबाव बनाकर के तथा लाईसेन्स निरस्त की धमकी देकर अनुच्छेद–4,5,7,8, का उल्लंघन का मौका निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर के मेरे द्वारा साईन लिये गये । मेरी उम्र 65 वर्ष है एवं हार्ड की बाईपास सर्जरी होने के कारण दबाव में मौका निरीक्षण हस्ताक्षर करवा लिये गये । अतः यह राजनीति से प्रेषित उत्पीडन का प्रकरण समझ में आ रहा है उप निरीक्षक

जिला कलेक्टर
कोटा

कृषि विस्तार जिला परिषद कोटा के द्वारा दिनांक 28.9.2022 को हमारे संस्थान पर टीम के साथ उपस्थित होकर हमे डरा धमकाकर जब्त किया हुआ माल / स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध संधारणों के अनुसार उपलब्ध माल इटावा क्रय विक्रय सहकारी समिति इटावा में स्थानान्तरण करवा दिया गया था जिसमें से डीएपी स्टॉक रजिस्टर में 65 बेग था तथा एसएसपी 166 बेग था जिसमें से डीएपी उर्वरक के 31 बेग में से 162 बेग ही स्थानान्तरण किया गया शेष स्टॉक 4 बेग परिसर में रखा हुआ था । चूंकि यह कृषि आदान बाढ से बहुत खराब व गल व सड चुका था जिसको श्रीमान जी ने परिसर में छोड दिया । कृषि उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद कोटा ने टीम के साथ गले व सडे हुए गीले कृषि आदानों के सेम्पलिंग भी की गई । उर्वरक एक केमिकल कम्पाउण्ड होने एवं पानी में घुलनशील होने के कारण बाढ से केमिकलों का रिसाव हो जाने के बावजूद भी सेम्पलिंग की जो कि फर्टीलाईजर आदेश के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत नहीं होने के बावजूद भी की गई जबकि उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद कोटा द्वारा यह प्रक्रिया अच्छी समझ होने के बावजूद भी राजनीति से प्रेषित होकर गलत कार्य किया गया जिससे हमारी फर्म ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया । अतः इटावा थाने में प्रार्थना दर्ज करवाके जो धाराए जोडी गई है वह हमारे फर्म के विरूद्व अमान्य व आप्राधिकृत है । अतःप्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कराते हुए समस्त प्रकरण को को निरस्त करके जब्तशुदा माल को छोडने का श्रम करें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिला विस्तार अधिकारी सी ए डी सुल्तानपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मैसर्स मथुरालाल शिवनारायण गेंता रोड इटावा तहसील पीपल्दा द्वारा उनके कार्यालय में 0 फार्म फीस सहित प्रदान नहीं किये गये तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.9.2022 को दोपहर बाद 3 बजे पुनः उक्त उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर उपस्थित होकर मौके पर श्री मथुरालाल जगरोटिया की उपस्थिति में पुनः गोदामों /प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के साथ–साथ उर्वरक कारोबार हेतु आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई । उर्वरक की बिक्री पर रोक के बावजूद दिनांक 28.9.2022 को पुनः निरीक्षण के दौरान कुल 231 बैग्स के स्थान पर 193 बैग्स ही पाये गये इस प्रकार 38 बैग्स खुर्द–बुर्द कर फर्म ने भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक न्यास भंग का कार्य किया है, तथा जब्त उर्वक प्रयोगशाला में निर्धारित मानक का नहीं पाया गया । इस प्रकार अप्रार्थी मैसर्स मथुरालाल शिवनारायण गेंता रोड इटावा तह0 पीपल्दा ने अमानक उर्वरक का कारोबार कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 19(ए) के साथ साथ अनुच्छेद 4,5,7,8,19,21 तथा 35 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(।)(ए)(।।) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस में अंकित तथ्य की बारिस में उर्वक भीग गया था, उर्वरक एक केमिकल कम्पाउण्ड होने एवं पानी में घुलनशील होने के कारण बाढ से केमिकलों का रिसाव हो जाने के बावजूद भी सेम्पलिंग की जो कि फर्टीलाईजर आदेश के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत नहीं होना बताया गया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दौराने बहस बताये गये तथ्य कयासों के आधार पर है, जवाब सन्तोषप्रद नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तसुदा माल उर्वरक के कुल 193 बैग राजसात (Confiscat) किया जाता है । निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा